रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1517] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 2008/कार्तिक 9, 1930
No. 1517] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2008/KARTIKA 9, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2550(अ).—जबकि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 2006 के नियम 30 के उप नियम (2) में पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1518(अ) के तहत विकास आयुक्त कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के अपर आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो नामक एक व्यक्ति का एक अधिकरण गठित किया और उक्त अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के आशय के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्राम सेवा आश्रम, ग्रांडट्रंक रोड, गाजियाबाद की देयताओं के भुगतान सम्बन्धी विवादित प्रश्न को निर्णय करने हेतु उक्त अधिकरण को भेजा ।

और जबकि, उक्त अधिकरण को सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यथाशीघ्र किन्तु अधिक से अधिक दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करनी थी ।

और जबकि, उक्त अधिकरण ने दिनांक 8-11-2007 को उक्त मामले पर अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दी थी ।

और जबकि, ग्राम सेवा आश्रम ग्रांडट्रंक रोड, गाजियाबाद ने अपने सचिव श्री हरि प्रकाश के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 31652/2008 दायर की है । इसके फलस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 8-7-2008 को अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 8-11-2007 के आदेश को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त करने की अनुमति दी है ।

और जबकि उच्च न्यायालय ने यह देखने और सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को निदेश दिया है कि अंतिम और नया आदेश उक्त नियमों के नियम 25 ख के उप-नियम (3) में दिए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस आशय के उचित और स्पष्ट आदेश सम्बन्धित दावों पर विचार करते हुए सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्राप्ति की तारीख से दो माह के अन्दर पारित करें ।

इसलिए, अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) में पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के अपर आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो नामक एक व्यक्ति का एक अधिकरण पुन: गठित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के आशय के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्राम सेवा आश्रम, ग्रांडट्रंक रोड, गाजियाबाद की देयताओं के भुगतान सम्बन्धी विवादित प्रश्न को पुन: निर्णय करने हेतु उक्त अधिकरण को भेजा जाता है ।

उक्त अधिकरण सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यथाशीघ्र किन्तु अधिक से अधिक दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[सं. सी 18019/11/2007-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2008

S.O. 2550(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government *vide* notification No. S.O. 1518(E), dated the 10th September, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th September, 2007 constituted a Tribunal consisting of one person namely Shri Praveen Mehto, Additional Economic Adviser, Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011 and referred the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Gram Seva Ashram, Grand Trunk Road, Ghaziabad to the Khadi and Village Industries Commission within the meaning of sub-section (1) of Section 19 B of the said Act.

And whereas, the said Tribunal was to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than two months from the date of publication of the aforesaid notification in the Official Gazette.

And whereas, the said Tribunal had submitted its report within the stipulated time in the aforesaid matter on 8-11-2007.

And whereas, the Gram Seva Ashram, Grand Trunk Road, Ghaziabad through its Secretary Shri Hari Prakash has filed a writ petition No. 31652/2008 in the High Court of the Allahabad. Consequently, on 8-7-2008 the High Court of Allahabad allowed that the order dated 8-11-2007 passed by the Tribunal is hereby quashed and set aside.

And whereas, the High Court directed the Tribunal to see and ensure that final and fresh order is passed within two months from the date of receipt of a certified copy of this order after hearing the parties concerned, considering their respective claims, by means a reasoned and speaking order, keeping in view the provisions as contained under sub-rule (3) of rule 25-B of the said rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, the Central Government hereby reconstitutes a Tribunal consisting of one person, namely Shri Praveen Mehto, Additional Economic Adviser, Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute afresh to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Gram Seva Ashram, GrandTrunk Road, Ghaziabad to the Khadi and Village Industries Commission within the meaning of sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

The said Tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[No. C-18019/11/2007-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.